प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 17.11.2026

- **थाना मंगलपुर पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर ले जाने की घटना कारित करने वाले वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 21.08.2026 को थाना मंगलपुर पर वादी द्वारा लिखित तहरीर बावत दिनांक 21.08.2026 को वादी की नाबालिग पुत्री को अभियुक्त द्वारा बहला फुसलाकर ले जाने आदि के सम्बन्ध में दी गयी। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 253/26 धारा 137(2)/87 बीएनएस बनाम अखण्ड राजावत उर्फ अखण्ड प्रताप सिंह पुत्र स्व0 धर्मेन्द्र सिंह निवासी मंगलपुर, थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। थाना मंगलपुर पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त की पीड़िता को पूर्व में बरामद किया जा चुका है। आज दिनांक 17.11.2026 को थाना मंगलपुर पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त अखण्ड राजावत उपरोक्त को कस्बा मंगलपुर मजार के पास थाना क्षेत्र मंगलपुर जनपद कानपुर देहात से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का विवरण –

1. अखण्ड राजावत उर्फ अखण्ड प्रताप सिंह पुत्र स्व0 धर्मेन्द्र सिंह उम्र करीब 21 वर्ष निवासी मंगलपुर, थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात।

अभियुक्त अखण्ड राजावत उपरोक्त का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 253/26 धारा 137(2)/87 बीएनएस थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात
2. मु0अ0सं0 163/26 धारा 126(2)/109(1)/131/352/351(3)/191(2)/191(3) बीएनएस थाना मंगलपुर, जनपद कानपुर देहात

गिरफ्तारी करने वाली थाना मंगलपुर पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री संजय कुमार सिंह
2. का0 674 भीम सिंह